न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 83 / 2021

सन्ता पुत्री गोरधन जाति धीमर निवासी पहाडी तहसील पहाडी हाल ससुराल भरतपुर

वादनी

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 15,88,89, आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री श्याम बाबू वकील वादनी

उपखण्ड अधिकारी पहाडी उप जिला कलेक्टर

दिनांक :– 02 / 03 / 2022

निर्णय

वादनी द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 15, 88,89, आर0टी0एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर साविक 757 / 0.43 मिन,766 / 0.10 हाल खसरा नम्बर 988 / 0.43, 1002 / 0.10 हैक्टर बांके ग्राम पहाडी प्रथम तहसील पहाडी में स्थित है। प्रार्थना पत्र में दर्ज आराजी के खसरा नम्बरान के 1/2 हिस्से की खातेदारी न्यायालय श्रीमान के यहां से सह खातेदार गोमा पत्नि रामबाबू , बृजेश पुत्र रामबाबू जाति धीमर निवासी पहाडी द्वारा दिनांक 28 / 10 / 2020 को खातेदारी करा ली गई है। जिसका मुकदमा नम्बर 26 / 2019 व उनवानी गोमा बनाम तहसीलदार पहाडी है। वादनी के पिता गोरधन पुत्र दयाचन्द आराजी को आर0टी0 एक्ट के लागू होने से पूर्व ही रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकर के रूप में काश्त कर रहा है गोरधन की मृत्यु के पश्चात विरासत के आधार पर वादनी वहैसियत खातेदार काश्तकार के रूप में अपने 1/2 हिस्से की आराजी को काश्त करती चली आ रही है और आज भी वादनी का कब्जा काश्त है। आराजी मुत0 पर वादनी राजस्व रिकॉर्ड में पट्टेदार विरासत के आधार पर दर्ज होती चली आ रही है। जिसकी खातेदारी दर्ज कराने हेतु न्यायालय श्रीमान के समक्ष दावा पेश किया जा रहा है। वादनी ने दावा पेश करने से पूर्व न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) जा0दी0 प्रस्तुत कर सरकार के विरूद्ध दावा पेश करने की अनुमति ले ली है। वादनी विवादित आराजी पर मुताबिक हिस्सा खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज है इसलिए राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम गैरखातेदार के रूप में दर्ज होता चला आ रहा है। उसे कलमजन किया जाकर वादनी को मुताबिक हिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें।

दावा वादनी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी ने न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 08 / 11 / 21 को वादनी

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

के दावा को स्वीकार करते हुये । जवाब पेश किया कि आराजी वादनी की पुश्तैनी आराजी है जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही वादनी के बुजुर्गान गैर मौरोसी के रूप में काबिज काश्त थे अब वादनी का मुताबिक हिस्सा आराजी पर कब्जा काश्त है। मुताबिक कानून वादनी को राजस्व रिकॉर्ड में गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन कर खातेदार दर्ज किया जाना न्यायोचित होगा। उक्त आराजी धारा 16 के तहत नहीं आती है। जिस पर वादनी को मुताबिक हिस्सा खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड किया जाना न्यायहित में है।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई ।

तनकी संख्या 1 :– आया आराजी मुतदाविया वादनी के पिता गोरधन पुत्र दयाल चन्द की खातेदारी की आराजी है। जिस पर वादनी गोरधन की मृत्यु के पश्चात बतौर वारिस के रूप में 1/2 हिस्से की आराजी पर कब्जा काश्त है और आराजी पैतृक आराजी है।

........वादनी

तनकी संख्या 2 :– आया आराजी मुतदाविया पर वादनी अपने बुजुर्गान के समय से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व बतौर पट्टेदार खातेदार के रूप में काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है।

........वादनी

तनकी संख्या 3 :– आया आराजी धारा 16 से निषिध नहीं है और वादनी आराजी के 1/2 हिस्से पर अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने की अधिकारी है।

........वादनी

4 :– दादरसी ।

वादनी ने अपने दावा के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0 1 सन्ता , पी0डब्लू0 2 होराम के शपथ पत्र पेश किये। दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबन्दी सम्वत 2015 किता–2 , 2019–22, 2023–26, 2027–30, 2039–42, 2048–51, 2056–59, 2076 एवं नकल खसरा गिरावरी सम्वत 2016–19, 2028–31, 2032–32, 2036–39, 2040–43, 2044–47, 2053–54, 2056–59, 2070–73, एवं नकल मिलान क्षेत्रफल पेश किये।

बहस वकील वादनी सुनी गई। बहस में वकील वादनी ने अपने दावे में दर्ज तथ्यों को दोहराया ।

हमने वकील वादनी की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तनकीबार विवेचन निम्नानुसार है।

तनकी संख्या :– 1 आया आराजी मुतदाविया वादनी के पिता गोरधन पुत्र दयाल चन्द की खातेदारी की आराजी है। जिस पर वादनी गोरधन की मृत्यु के पश्चात बतौर वारिस के रूप में 1/2 हिस्से की आराजी पर कब्जा काश्त है और आराजी पैतृक आराजी है।

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादनी पर हैं। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं जबाब तहसीलदार के मुताबिक आराजी वादनी के पिता की आराजी है।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी के अनुसार आराजी वादनी के पिता गोरधन पुत्र दयाचन्द की गैर मौरोसी की आराजी थी। वर्तमान में वादनी का मुताबिक हिस्सा कब्जा काश्त है। आराजी पर वादनी के पिता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने के पूर्व से ही गैर मौरोसी राजस्व रिकॉर्ड इन्द्राज है। आराजी वादनी की पुश्तैनी आराजी है। तहसीलदार पहाडी ने भी अपने जवाब में स्वीकार किया है कि आराजी वादनी की पुश्तैनी आराजी है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी वाहक वादनी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या :– 2 आया आराजी मुतदाविया पर वादनी अपने बुजुर्गान के समय से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व बतौर पट्टेदार खातेदार के रूप में काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है।

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादनी पर हैं। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं जबाब तहसीलदार पहाडी के मुताबिक वादनी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व ही आराजी पर काबिज काश्त है। आराजी वादनी की पुश्तैनी आराजी है। वादनी का आराजी के 1/2 हिस्सा पर कब्जा व काश्त है।

तनकी संख्या 3 :– आया आराजी धारा 16 से निषिध नहीं है और वादनी आराजी के 1/2 हिस्से पर अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने की अधिकारी है।

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादनी पर हैं। मुताबिक जबाब तहसीलदार आराजी धारा 16 के अधीन नहीं आती है। संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं जबाब तहसीलदार वादनी आराजी के 1/2 हिस्से पर वादनी का कब्जा व काश्त है। ऐसी स्थिति में आराजी को वादनी अपने नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड करा पाने के अधिकारी है। उक्त तनकी वाहक वादनी निर्णित की जाती है।

4. दादरसी :– तनकी संख्या 1,2 व 3 वादनी के पक्ष में निर्णित हो गई है ऐसी स्थिति में दावा वादनी डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

दावा वादनी डिक्री किया जाकर वादनी को आराजी खसरा नम्बर साविक 757/0.43 मिन,766/0.10 हाल खसरा नम्बर 988/0.43, 1002/0.10 हैक्टर बांके ग्राम पहाडी प्रथम तहसील पहाडी पर गैरखातेदार के स्थान पर 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02/03/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner